न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) समक्षः—दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए—300065 ए / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक—15.03.2013</u>

सचिन जायसवाल, उम्र—34 वर्ष, पिता श्री उमाशंकर जायसवाल, जाति कलार, निवासी—देवरी कला बबलिया, तहसील—निवास, जिला मण्डला

....वादी

-// विरुद्ध//-

1—श्रीमती चन्द्रकला, उम्र—55 वर्ष, पित स्व. श्री विजय कुमार जायसवाल, जाति कलार, निवासी—मोहबट्टा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 2—सुरेश कुमार, उम्र—55 वर्ष, पिता स्व. श्री नन्दलाल जायसवाल, जाति कलार, निवासी—लालबर्रा, तहसील लालबर्रा, जिला—बालाघाट, 3—नरेश कुमार जायसवाल, उम्र—52 वर्ष, पिता स्व. श्री नन्दलाल जायसवाल, निवासी—गलगला जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर, 4—सुनिल कुमार जायसवाल, उम्र—50 वर्ष, पिता स्व. श्री नन्दलाल जायसवाल, निवासी—गलगला जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर, 5—शारदा, उम्र—35 वर्ष, पिता श्यामनाथ जायसवाल, जाति कलार, निवासी—गलगला, जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर, 6—विजय लक्ष्मी, उम्र—32 वर्ष, पिता श्यामनाथ जायसवाल, जाति कलार, निवासी—गलगला, जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर, 7—उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, बैहर, जिला बालाघाट, प्रितवादीगण, अन्वयादीन कलेक्टर महोदय, बालाघाट, प्रितवादीगण,

-//<u>निर्णय</u>//-

(आज दिनांक-28.03.2018 को घोषित)

- 1— वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरूष नन्दलाल की पत्नी देविका के नाम पर भूमि ख.नं—33 रकबा 11.65 / 4.715 हे., ख.नं—57 / 1 रकबा 7.00 / 2.833 हे., ख.नं—51 / 16 रकबा 0.20 / 0.081 हे. मौजा मोहबट्टा, प.ह. नं—18, रा.नि.मं. बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित थी। मूल पुरूष नंदलाल शिक्षक थे, उन्होंने स्वयं की कमाई से उनकी पत्नी देविकाबाई के नाम पर उक्त भूमि क्रय कर कब्जा व स्वामित्व प्राप्त किया था। नन्दलाल एवं उसकी

पत्नी फौत हो चुके हैं, उनके वारसान पुत्र सुरेश, नरेश, सुनील हैं एवं मृतक पुत्र विजय एवं मृतक पुत्री निर्मला एवं वादी की माँ प्रमिलाबाई थी। वादी की उम्र-6-7 माह की थी, तब वादी की माँ एवं नानी की मृत्यु हो गई थी। वादी जिला मण्डला में निवास करता है। इस कारण उसने विवादित भूमि से संबंधित राजस्व प्रलेखों का अवलोकन नहीं किया था और न ही उसे उक्त अभिलेखों की आवश्यकता पड़ी थी। इस कारण वादी को जानकारी नहीं हो पाई थी कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की नानी की मृत्यु के पश्चात् वादी का मॉ नाम दर्ज नहीं कराया था। वादी ग्राम सरेखा(बेहर) आया था तो उसे दिनांक-19.02.2013 को जानकारी हुई थी कि प्रतिवादीगण आपस में मिलकर उक्त विवादित भूमि को बिकी कराना चाहते हैं। बैहर के लोगों को जमीन दिखाकर संपूर्ण भूमि का सौदा किया जा रहा था, तब वादी द्वारा संबंधित हल्का पटवारी से जानकारी ली थी, तब वादी को पता चला था कि प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर विवादित भूमि पर वादी का नाम दर्ज नहीं करवाया गया था। जबिक वादी की नानी की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में उसके चारों पुत्र एवं एक पुत्री निर्मलाबाई का नाम दर्ज करवाया गया है। वादी की माँ की मृत्यू हो जाने के पश्चात् उसके वारसान के रूप में वादी का नाम शामिल सरिक किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि को बिक्री करने का प्रयास कर रहें हैं।

3— वादी ने उसके वादपत्र में यह भी बताया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि की दिनांक—19.02.13 को नकल प्राप्त की थी तो वादी को जानकारी हुई थी कि प्रतिवादीगण द्वारा ख.नं—51/16 रकबा 0.20/0.0081 हे. भूमि में से रकबा 0.04/0.016 हे. भूमि विक्रय की जा चुकी हैं। विक्रयशुदा भूमि का ख.नं—51/16—क हो गया है, कुल रकबा 18.81 ए. भूमि शेष बची है। वादी द्वारा विवादित भूमि को विक्रय से रोके जाने के लिए प्रति.क.—7 एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बैहर के समक्ष दिनांक—20.02.2013 को आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया था। देविकाबाई के वारसानों में उसके पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु की पश्चात् उनके वारसानों प्रति.क.01 एवं प्रति.क.05, एवं 06 का नाम भी तहसीलदार बैहर के रा.प्र.क—143 अ/6 वर्ष 2012—13 में पारित आदेश दिनांक—28.01.2013 के द्वारा शामिल—सरीक दर्ज करवाया गया है। ऐसी स्थित में वादी की नानी देविकाबाई की मृत्यु के पश्चात् तहसीलदार बैहर का आदेश एवं फौती दाखिला वादी पर बंधनकारक नहीं है। विवादित भूमि वादी की नानी के नाम पर थी, जिसकी मृत्यु वंधनकारक नहीं है। विवादित भूमि वादी की नानी के नाम पर थी, जिसकी मृत्यु

के पश्चात् उसके वारसान चार पुत्र एवं दो पुत्रियों का 1/6, 1/6 अंश का हक व हिस्सा है और वादी मृतिका देविकाबाई की पुत्री स्व. प्रमिलाबाई का एकमात्र पुत्र है। उस आधार पर वादी विवादित भूमि में से 1/6 अंश प्राप्त करने का हकदार है। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

- 4— वादी के वादपत्र का प्रति.क.01 लगा. 06 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर संपूर्ण वादपत्र को अस्वीकार कर बताया है कि वादी द्वारा लंबी अवधि के दौरान वयस्कता धारण करने के उपरांत समय पर आवेदन नहीं देकर जानबूझकर मनगढंत वाद प्रस्तुत किया है। परिसीमा अधिनियम की धारा—06, 07 एवं 08 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विधिक अयोग्यता के अंतर्गत हो तो दावा करने की म्याद समाप्ति होने पर दावा करने को कोई हक नहीं है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है और न ही कब्जे का कोई वाद प्रस्तुत किया है। वादी के वाद अवधि बाह्य है एवं क्षेत्राधिकार से परे है। प्रति.क.01 लगा. 06 ने वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 5— वादी के वादपत्र का प्रति.क.07 एवं 08 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के संपूर्ण वादपत्र को अस्वीकार कर विशिष्ट कथन में बताया है कि उक्त वाद में प्रति.क.08 से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं चाही गई है एवं प्रति.क.07 बिना किसी न्यायालय के आदेश के बिना अपने कार्यालय के किसी भी विक्यपत्र के निष्पादन को नहीं रोक सकता है। प्रति.क.07 एवं 08 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 6— प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

कमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी की माँ प्रमिला मूल पुरूष	
	नंदलाल व उसकी पत्नी देविका की पुत्री	''प्रमाणित''
	थी ?	प्रमााणत
2	क्या ग्राम मोहबट्टा, प.ह.नं—18, रा.नि.मं.	
	व तहसील बैहर स्थित ख.नं–33, 57/1,	//————————————————————————————————————
	51 / 16 रकबा कमशः 11.65, 7.00, 0.	''प्रमाणित नहीं''
	20 एकड़ कुल रकबा 18.85 एकड़ / 7.	
	629 हेक्टेयर भूमि पर वादी को वारसान	

	हक में 1/6 अंश का स्वत्व प्राप्त है ?	4 1
3	क्या विवादित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में किया गया संशोधन वादी के	''प्रमाणित नहीं''
	विरुद्ध प्रभावशून्य है ?	The sale
4.	क्या प्रतिवादी क—1 से 6 के द्वारी	
	विवादित भूमि को विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है ?	no s
5.	सहायता एवं खर्च ?	वादी का वादपत्र निर्णय की
	S. C.	कंडिका—21 के अनुसार निरस्त
	10 B	किया गया है।
6	क्या वादी का वाद समयावधि बाह्य है ?	''प्रमाणित''
	CC	

<u>-:विवेचना एवं निष्कर्ष:-</u>

वादप्रश्न क्मांक-01 लगा. 04 का निराकरण:-

7— प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस कारण वादप्रश्न क.01 लगा. 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8— वादी सचिन जायसवाल वा.सा.01 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि मूल पुरूष नंदलाल उसके नाना थे, उनकी पत्नी देविकाबाई साक्षी की नानी थी, दोनों की मृत्यु हो गई। साक्षी के नाना के विजय, सुरेश, नरेश, सुनील पुत्र थे एवं निर्मलाबाई, प्रमिलाबाई पुत्रियां थी। साक्षी के नाना के पुत्र विजय एवं पुत्रियां निर्मलाबाई एवं प्रमिलाबाई की मृत्यु हो गई है। प्रमिलाबाई साक्षी की मां थी। साक्षी उसकी मां का एकमात्र पुत्र वारसान है। साक्षी की नानी देविकाबाई के नाम से भूमि ख.नं—33 रकबा 11.65/4.715 हे., ख.नं—57/1 रकबा 7.00/2.833 हें., ख.नं—51/16 रकबा 0.20/0.081 हे. कुल रकबा 18.85/7.769 हे. भूमि मौजा मोइबट्टा, प.ह. नं—18 रा.नि.मं. एवं तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित है। साक्षी के नाना ने शिक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपनी कमाई से साक्षी की नानी के नाम पर विवादित भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया था। साक्षी के नाना की 20—25 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। साक्षी की नानी की भी मृत्यु हो गई है, जिनके वारसान प्रति.क. 02 लगा. 03 एवं उनकी पुत्री निर्मला, साक्षी की मां प्रमिलाबाई थी। साक्षी की उम्र

6—7 माह थी, तब साक्षी की माँ की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ग्राम देवरीकला(बबलिया) जिला मण्डला में निवास करता है। इस कारण साक्षी को जानकारी नहीं हो पाई थी कि उसके नाना की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी माँ प्रमिलाबाई के नाम के स्थान पर विवादित भूमि पर साक्षी का नाम प्रतिवादीगण ने दर्ज नहीं कराया था।

वादी सचिन जायसवाल वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि दिनांक-19.02.13 को साक्षी ग्राम सरेखा बैहर आया था, तब साक्षी को जानकारी हुई थी कि प्रतिवादीगण आपस में मिलकर भूमि को विक्रय करने का सौदा कर रहें हैं, तब साक्षी द्वारा हल्का पटवारी से संपर्क किया था, तब साक्षी को पता चला था कि विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में प्रतिवादीगण ने उसका नाम दर्ज नहीं कराया है। जबिक साक्षी के नाना-नानी की मृत्यु पश्चात् विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में उनके चार पुत्र, एक पुत्री निर्मला का नाम दर्ज कराया गया है। साक्षी की माँ की मृत्यु होने के कारण वारसान के रूप में साक्षी का नाम भी दर्ज किया जाना था, परंतु विवादित भूमि पर साक्षी का नाम दर्ज नहीं कराया गया है। साक्षी ने विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों की नकल प्राप्त की थी, तब साक्षी को जानकारी हुई थी कि प्रतिवादीगण द्वारा ख.नं-51/16 रकबा 0.20/0.0081 हे. भूमि में से रकबा 0.04 / 0.016 हे. भूमि विक्रय कर दी हैं। उक्त भूमि का वर्तमान में ख.नं–51 / 16–क हो गया है। कुल रकबा 18.81 ए. भूमि शेष बची है। साक्षी ने विवादित भूमि को बिकी से रोकने के लिए प्रति.क.07 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के समक्ष दिनांक-20.02.13 को आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया था। साक्षी की नानी के वारसानों में पुत्र विजय, पुत्री निर्मलाबाई की मृत्यु के पश्चात् उनके वारसान प्रति.क.01,05,06 का नाम तहसीलदार बैहर के रा.प्र.क. 143 अ / 6 वर्ष 2012-13 आदेश दिनांक-28.01.2013 के द्वारा शामिल-सरीक दर्ज कराया है। साक्षी की नानी की मृत्यु के पश्चात् कराए गए उक्त राजस्व प्रकरण का आदेश साक्षी पर बंधनकारी नहीं है। साक्षी ने उसके मुख्यपरीक्षण की साक्ष्य की कंडिका-6 एवं 7 में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगा. 17 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। उमाशंकर जायसवाल वा.सा.०२ ने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में

10— उमाशंकर जायसवाल वा.सा.02 ने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में वादी के अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि वादी उसका पुत्र है। साक्षी का विवाह दिनांक—10.05.1978 को ग्राम मोहबट्टा के नन्दलाल जायसवाल की पुत्री प्रमिलाबाई से हुआ था, जिससे एकमात्र पुत्र वादी उत्पन्न हुआ था।

साक्षी की पत्नी की मृत्यु वर्ष 1979 में हो गई है। साक्षी के ससुर नन्दलाल ने उनके जीवनकाल में शिक्षक के पद पर रहते हुए साक्षी की सास के नाम पर विवादित भूमि क्रय की थी। साक्षी ने वादी की साक्ष्य की पुष्टि की है।

11— रामकृष्ण सोनी वा.सा.05 ने उसके मुख्यपरीक्षण में वादी के अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि वादी के पिता का विवाह वर्ष 1978 में नन्दलाल जायसवाल की पुत्री प्रमिलाबाई से संपन्न हुआ था। विवाह में साक्षी ने सम्मिलित होकर रीति—रिवाज अनुसार ओली डालने की रस्म अदा की थी। इस कारण साक्षी वादी के माता—पिता को जानता है। उनका एकमात्र पुत्र वादी है। वादी की मॉ की माह नवम्बर 1979 में मृत्यु हो गई है। वादी की नानी के नाम पर ग्राम मोहबट्टा में 18.85 ए. भूमि थी, जिस पर सभी वारसानों का हक है। वादी की नानी एवं मॉ की मृत्यु होने के कारण वादी का भी वारसान की हैसियत से उक्त भूमि पर अधिकार है। उक्त साक्षी ने वादी की साक्ष्य की पृष्टि की है।

12— मीना जायसवाल वा.सा.06 ने वादी के अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि वादी एवं प्रति.क.01 लगा. 06 उसके रिश्तेदार हैं। स्व. विजय कुमार की पत्नी प्रति.क.01 साक्षी की बुआ सास है। वादी, साक्षी की छोटी बहन का भतीजा है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में वादी की साक्ष्य की पुष्टि की है।

13— साहेमन मरावी. वा.सा.03 का कथन है कि वह ग्राम पंचायत देवरीकला बबिलया का सरपंच है। वादी उसके गांव का ही निवासी है। साक्षी वादी के पिता के विवाह में ग्राम मोहबट्टा बैहर में सिम्मिलित हुआ था। वादी की माँ की वर्ष 1979 में मृत्यु हो गई है। वादी उसके माता—िपता का एकमात्र पुत्र है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य से वादी की साक्ष्य की पृष्टि की है।

14— यू.एल. डोंगरे वा.सा.04 का कथन है कि वह शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है। वह अपने साथ दाखिल—खारिज पंजी कमांक—2 दिनांकित—01.07.65 से दिनांकित—06.01.81 तक की दाखिल—खारिज पंजी लेकर उपस्थित हुआ था। उक्त दाखिल—खारिज पंजी में 117 से लेकर 1131 छात्राओं की प्रविष्टि है। उक्त दाखिल—खारिज पंजी में प्रमिलाबाई का नाम कमांक—319 दिनांक—01.07.69 को अंकित किया गया था। साक्षी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—13 है। दाखिल—खारिज पंजी के पृष्ठ कमांक—74, 75 दाखिला कमांक—319 दिनांक—01.07.69 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—14 है।

15— शारदा जायसवाल प्र.सा.01 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में वादी की साक्ष्य का खण्डन करते हुए उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि उसकी एवं अन्य प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की 18.85 एकड़ भूमि मोहबट्टा में है। वादी का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी का देवकीबाई से कोई संबंध नहीं है। वादी ने उक्त भूमि के नामांतरण के समय कोई आपित्त पेश नहीं की थी। विवादग्रस्त भूमि नन्दलाल एवं देवकीबाई की भूमि थी। वादी को विवादग्रस्त भूमि का कोई अंश प्राप्त करने का हक नहीं है एवं 12 वर्ष से अधिक अवधि से प्रति.क.01 लगा. 06 का विवादित भूमि पर कब्जा है। विवादग्रस्त भूमि पर मकान बना है। वादी के पिता की दो पितनयां थीं। प्रमिलाबाई से संतान होने का कोई प्रमाण नहीं है। वादी की साक्ष्य के अनुसार वादी, उमाशंकर की दूसरी पत्नी का पुत्र है। वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी—1 लगा. 14 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

16— प्रकरण में उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत ड्राईविंग लायसेंस प्रदर्श पी-7, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रीकल के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-8, जन्मप्रमाणपत्र एवं प्रदर्श पी-15, दाखिल-खारिज रजिस्टर प्रदर्श पी-16 की प्रमाणित प्रतिलिपि में वादी का नाम एवं वादी के पिता के रूप में उमाशंकर का नाम दर्ज है। वादी ने उसका जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए तहसीलदार निवास के न्यायालय में आवेदन पेश किया था, उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श डी-1 एवं 2 हैं। ग्राम पंचायत देवरीकला बबलिया ने प्रदर्श डी-3 का प्रमाणपत्र दिया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि में यह उल्लेख है कि वादी का जन्म पंजीयन ग्राम पंचायत देवरीकला बबलिया में पंजीकृत नहीं है। वादी द्वारा उसका जन्मप्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसीलदार निवास जिला मण्डला के समक्ष आवेदन एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया था। शपथपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-4 है एवं आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-5 है। वादी के आवेदन के आधार पर हल्का नंबर-39 के पटवारी ने तहसीलदार के समक्ष जांच प्रतिवेदन दिया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-6 है। उक्त प्रतिवेदन एवं प्रदर्श डी-7 के पंचनामा में यह लिखा है कि वादी की जन्मतिथि दिनांक-11.05.1979 है।

17— प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादी के आवेदन प्रदर्श डी—9, शपथपत्र प्रदर्श डी—10 के आधार पर तहसीलदार निवास के न्यायालय से वादी

की माँ की मृत्यु के संबंध में प्रदर्श डी-8 का आदेश हुआ था। उक्त आदेश में वादी की माँ की मृत्यु की दिनांक-17.11.1979 लिखी है। वादी ने उसकी माँ की मृत्यु का रिकार्ड प्राप्त करने के लिए थाना प्रभारी निवास में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-11 है, जिस पर थाना प्रभारी बिरसा ने लिखकर दिया था कि मृतिका प्रमिला जायसवाल की मृत्यु वर्ष 1979 में हुई है, जिसके जन्म-मृत्यु के संबंध में रिकार्ड थाने में नहीं होने से मृत्यु प्रमाणपत्र देना संभव नहीं है। प.ह.नं–39 के प्रदर्श डी–12 के प्रतिवेदन एवं प्रदर्श डी–13 के पंचनामा में पटवारी ने लिखा था कि ग्रामवासियों के बताने के आधार पर वादी की मां प्रमिलाबाई की मृत्यु दिनांक-11.07.1979 को हुई थी। प्रदर्श पी-15 के मृत्यु प्रमाणपत्र में भी यह लिखा है कि प्रमिलाबाई की मृत्यु दिनांक-17.11.79 को हुई थी। नगरपालिका परिषद मण्डला के मृत्यु पंजीयन अभिलेख की मूल प्रति प्रदर्श डी—13ए में प्रमिलाबाई की मृत्यु दिनांक—17.12.1979 रजिस्ट्रीकरण कमांक—271 / 21 रजिस्ट्रीकरण दिनांक—31.10.1980 लिखी है। नगरपालिका परिषद मण्डला ने पुनः वादी की माँ की मृत्यु के संबंध में प्रदर्श डी-14 का प्रमाणपत्र दिनांक-24.01.2018 को दिया था। प्रदर्श पी-14 के प्रमाणपत्र एवं प्रदर्श डी-13 ए के दस्तावेज में वादी की मॉ की मृत्यु की दिनांक, पंजीयन क्रमांक एवं रजिस्ट्रीकरण दिनांक एक समान लिखी हैं। प्रदर्श डी-14 के प्रमाणपत्र में यह भी लिखा है कि आग से जलने के कारण मृत्यू का स्थान, जिला चिकित्सालय दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों में वादी की मॉ की मृत्यु की दिनांक के संबंध में विरोधाभास है। थाना निवास ने वादी की मॉ की मृत्यु के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं दिया था। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-13 के प्रमाणपत्र एवं प्रदर्श पी-14 के दाखिल खारिज पंजी से यह प्रमाणित होता है कि वादी की मॉ प्रमिला मूल पुरूष नंदलाल जायसवाल की पुत्री थी।

18— प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला प्रदर्श पी—9 में उल्लेखित भूमि पर वादी की नानी देविकाबाई का नाम दर्ज है। वादग्रस्त संपत्ति के फौतीनामा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—9ए में यह लिखा है कि उक्त फौतीनामा की पंजी में उल्लेखित विवादित संपत्ति के खसरा नंबर की भूमि वादी की नानी देविकाबाई की मृत्यु होने के कारण उसके पुत्र विजय कुमार, सुरेश कुमार, नरेश कुमार, सुनील, पुत्री निर्मला के नाम पर फौती नामांतरण हुआ था। प्रदर्श पी—9ए के फौती दाखिला के अनुसार प्रदर्श पी—1 के खसरा पांचसाला में उल्लेखित

विवादग्रस्त भूमि पर विजय कुमार, सुरेश कुमार, नरेश कुमार, सुनील, पुत्री निर्मला के नाम दर्ज हुए थे।

19— प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी—3 की संशोधन पंजी के द्वारा भूमि ख.नं-51 / 17 रकबा 0.20 / 0.089 में विरासतन हक से शामिल-सरीक कान्ता के फौत होने के कारण महेश एवं बलराम के नाम पर दर्ज हुई थी एवं प्रदर्श पी-4 की संशोधन पंजी के द्वारा भूमि ख.नं-57/1 रकबा 7.00 ए. भूमि वादी की नानी द्वारा ओंकारलाल सोनी से क्य करने के कारण उसके नाम पर दर्ज हुई थी। प्रदर्श पी-5 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि वादी की नानी ने निलामी में क्य की थी। वादी ने उसकी नानी द्वारा क्य की गई भूमि के विक्यपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादी के अभिवचन एवं विवादित भूमि के सर्वे क्रमांक—33 रकबा 11. 65 ए. की भूमि वादी की नानी को किस प्रकार प्राप्त हुई थी, इस संबंध में विरोधाभास है। वादी ने प्रकरण में उसकी नानी की मृत्यु की दिनांक स्पष्ट रूप से नहीं बताई है। वादी की माँ की मृत्यु हो गई है। वादी की माँ ने उसके जीवनकाल में विवादित भूमि में से अपना अंश प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया था। इस कारण वादी विवादग्रस्त भूमि में से 1/6 का स्वत्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं विवादित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में किया गया संशोधन वादी के विरूद्ध प्रभावशून्य नहीं माना जाता है। प्रदर्श पी-1 के खसरा पांचसाला में विवादग्रस्त भूमि प्रति.क-1 के पति और प्रति.क-5, 6 की मॉ के नाम पर एवं प्रति.क-2 लगा. 4 के नाम पर दर्ज है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हो।

अतिरिक्त वादप्रश्न कमांक-6 का निराकरण

20— प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए उसके जन्म से संबंधित दस्तावेजों में वादी की जन्मतिथि 11.05.1979 दर्ज है। वादी ने उसके अभिवचन में दिनांक—19.02.2013 को वाद कारण उत्पन्न होना बताया है। वादी ने उसके बालिग होने के उपरान्त 3 वर्ष की अविध में प्रश्नाधीन वाद प्रस्तुत नहीं किया था। वादी ने प्रश्नाधीन वाद दिनांक—15.03.2013 को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण की उक्त स्थित को देखते हुए वादी का वाद समय अविध बाह्य माना जाता है।

वादप्रश्न कमांक-5 सहायता एवं खर्च

21— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादी उसका वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है। वादी का वाद समय अविध बाह्य होने के कारण निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—

- 1— उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2— अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी। तद्ानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / – **(दिलीप सिंह)** द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

सही / – (दिलीप सिंह) द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

